



Neutral Citation No . - 2026:AHC:5827

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 87 वर्ष 2026

देश दीपक

याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

..... प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	कमलेंद्र कुमार मौर्य
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

प्रारंभ में ही, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया है, जिसमें निम्नलिखित राहतों की मांग की गई है:

"I. प्रबंधक, शहरी आजीविका केंद्र, डुडा, जिला फिरोजाबाद द्वारा जारी दिनांक 23.11.2021 के आक्षेपित निष्कासन/पत्र को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण प्रकृति की एक रिट जारी की जाए, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का चयन/नियुक्ति रद्द कर दी गई है।"

II. परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को उस स्थान पर अपनी सेवा में फिर से शामिल होने की अनुमति देने का निर्देश दिया जाए, जहां वह आक्षेपित आदेश पारित होने से पहले काम कर रहा था।

III. याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 17.07.2025 को दायर किए गए आवेदन पर प्रतिवादी संख्या 2 को उचित कार्रवाई करने का निर्देश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, साथ ही याचिकाकर्ता को बेहतर विवरणों के साथ नया आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी जाए, क्योंकि उनके अनुसार वर्तमान याचिका विधिवत रूप से निर्मित नहीं की गई है।

IV.....

V....."

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ताओं को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस ले ली गई मानकर **खारिज** की जाती है।

9 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.